


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

नि०न० - 02/2020(2020/00399)

अनवान :-

1. रामदयाल पुत्र धारूराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा
2. लीलूराम पुत्र धारूराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा
3. किशोरीराम पुत्र धारूराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा



प्रार्थी

बनाम

1. निहालसिंह पुत्र ठाकरराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. रामस्वरूप पुत्र ठाकरराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
3. महावीर पुत्र ठाकरराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
4. बजरंग पुत्र मुंशीराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
5. हरिसिंह पुत्र दशरथ जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज० को० कन्डीशन सपटित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद सिंगाटिया प्रार्थी

आदेश

दिनांक : 04/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील भादरा के रोही मौजा चक 1 डीपीएन के खाता संख्या 105/105 के मु० न० 55 के किला न० 15/2 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 डीपीएन के खाता संख्या 54/56 के मु० न० 55 के किला नम्बर 18/2, 24, 25/2 अप्रार्थी संख्या 1 निहालसिंह के नाम दर्ज है। चक 1 डीपीएन के खाता संख्या 53/55 के मु० न० 55 के किला न० 6, 11, 12, 13, 14, 15/1 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है। चक 1 डीपीएन के खाता संख्या 45/49 के मु० न० 32 के किला न० 11, 19, 20, मु० न० 33 के किला न० 6/1, 13, 14, 15, 16/2, मु० न० 41 के किला न० 11 ता 13, मु० न० 55 के किला न० 16, 17, 18/1, 25/1, मु० न० 58 के किला न० 1, 6, 7, 10, 11, 15, 20, 21, 22 अप्रार्थी संख्या 5 हरिसिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन चक 1 डीपीएन के मुरब्बा न० 55 के किला न० 11 में मध्य से होकर पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण, किला नम्बर 12, 13, 14 के दक्षिण तरफ पत्थर लाईन के पास-पास होकर अपनी कृषि भूमि के मु० न० 55 के किला न० 15/1 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण की रोही मौजा चक 1 डीपीएन के मु० नम्बर 55 के किला न० 11, 12, 13, 14 में रास्ता दर्ज किया जावे। इसके

अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नहीं है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक बाद शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार भादरा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी लीलूराम पुत्र धारूराम जाति कुम्हार निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा के बयान करवाये गये जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चक 1 डीपीएन जमाबन्दी सम्वत 2073-76 खाता संख्या 105/105 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 1 डीपीएन सम्वत 2073-76 खाता संख्या 45/49 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 1 डीपीएन सम्वत 2073-76 खाता संख्या 54/56 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 डीपीएन सम्वत 2073-76 खाता संख्या 53/55 प्रदर्श 4, नजरी नक्शा चक 1 डीपीएन प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। राजीनामा की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा वाहमी राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि चक 1 डीपीएन के मुरब्बा न0 55 के किला न0 11 में ठीक मध्य से होते हुए पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण तक 0.019 है0, किला नम्बर 12 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0, किला नम्बर 13 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0, किला नम्बर 14 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपटित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है कि चक 1 डीपीएन के मुरब्बा न0 55 के किला न0 11 में ठीक मध्य से होते हुए पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण तक 0.019 है0, किला नम्बर 12 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0, किला नम्बर 13 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0, किला नम्बर 14 में दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन के पास-पास 0.013 है0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S.
सपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़